पूर्व मध्य रेल
(रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ)
पॉल्सन कॉम्पलेक्स,दीघाघाट
पटना–800011

अधिसूचना सं.–आर.आर.सी./ईसीआर/एचआरडी/एक्ट–अप्रेन्टिस/2018

अधिसूचना

अप्रेंटिस एक्ट,1961 के अंतर्गत पूर्व मध्य रेल पर षिक्षुता प्रषिक्षण (अप्रेंटिसषिप ट्रेनिंग) हेतु षिक्षुओं का चयन

ऑनलाईन आवेदन खुलने की तिथि व समय	ऑनलाइन आवेदन की अंतिग तिथि व समय
30.01.2018 पूर्वाह्न 11.00 बजे	28.02.2018 अपराह्न 17.00 बजे

षिक्षुता प्रषिक्षण हेतु षिक्षुओं के चयन के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित किए जाते हैं। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत पूर्व मध्य रेल के क्षेत्राधिकार में स्थित मंडलों/यूनिटों में नामित ट्रेडों में प्रषिक्षण देने के उद्देष्य से उपलब्ध 1898 स्लॉटों के विरूद्ध अंतिम तिथि **दि. 28.02.2018 के 17.00 बजे तक** सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।

1. अभ्यर्थी नोट करें और इस तथ्य को संज्ञान में लें कि पूर्व मध्य रेल के मंडलों/यूनिटों के लिए अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत षिक्षुओं के चयन के लिए यह एक केन्द्रीकृत अधिसूचना है तथा रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पूर्व मध्य रेल (आरआरसी/ईसीआर) को अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने एवं उनकी योग्यता सूची तैयार करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। योग्यता सूची मंडल/यूनिट वार बनायी जाएगी एवं अभ्यर्थी कृपया नोट करें कि कोई केन्द्रीयकृत योग्यता सूची नहीं बनाई जाएगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन केवल आरआरसी के वेबसाइटूण्ततबमबतण्हवअण्पद पर ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं।
2. योग्यता सूची तैयार करने के पश्चात इसे पूर्व मध्य रेल के संबंधित मंडलो/यूनिटों को सूचित किया जाएगा।दस्तावेजों का सत्यापन एवं षिक्षुओं की चिकित्सा परीक्षा,आवेदन में यथा दर्षाए गए विकल्प के अनुसार चयनित मंडलों/यूनिटों में आयोजित की जाएगी ।
3. **चयन की विधिः**

   3.1 षिक्षुता प्रषिक्षण हेतु चयन इस अधिसूचना के अंतर्गत किसी खास मंडल/यूनिट हेतु आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बनाई गई योग्यता सूची के आधार पर होगा। योग्यता सूची मैट्रिक (न्यूनतम 50ः पूर्ण अंको सहित) एवं आई.टी.आई. परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को लेकर, दोनो को बराबर महत्व देते हुए, तैयार की जाएगी ।

   मैट्रिक में प्राप्त अंकों की प्रतिषतता की गणना करने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा सभी विषयों में प्राप्त किए गए अंकों की गणना की जाएगी न कि किसी विषय अथवा विषय समूह के अंकों के आधार पर ।

   3.2 दो अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में, अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि जन्मतिथि भी समान हो, तो मैट्रिक परीक्षा में पहले उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थी को प्रथम के रूप में विचार किया जाएगा

   3.3 षिक्षुता प्रषिक्षण हेतु अंतिम रूप से सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता का मूल्याकन, मूल दस्तावेजों के सत्यापन एवं निर्धारित चिकित्सा परीक्षा में योग्य पाए जाने पर किया जाएगा।
4. ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के दौरान प्रत्येक आवेदक को विषिष्ट पंजीयन संख्या जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ के साथ भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों में प्रयोग/पत्र व्यवहार के लिए अपनी पंजीयन संख्या सुरक्षित रखें व नोट कर लें।

नोटः(1) अंतिम क्षण की भीड़ से बचने के लिए अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि से समुचित पहले अपने आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करें, ताकि अंतिम दिनों में वेबसाइट पर संभावित भारी भीड़ के कारण होनेवाली असुविधा से बच सकें।

नोटः (2) ऐसे अभ्यर्थी जो उपर्युक्त कारण अथवा किसी अन्य कारण से अंतिम दिन में अपने आवेदन प्रस्तुत नही कर पाये, तो, उसके लिए रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ जिम्मेवार नहीं होगा।

5. अभ्यर्थियों को केवलएक ही मंडल/यूनिट का विकल्प देना है।मंडलों/यूनिटों तथा स्लॉटों की संख्या (ट्रेडवार)का विस्तृत विवरण निम्नवत हैः–

;क) दानापुर मंडल

क्र.सं.	ट्रेड/विषय	सामुदायिक ब्योरा				कुल
		अना.	अपिव	अजा	अजजा	
01	फीटर	97	51	28	14	190
02	वेल्डर (गैस एवं विद्युत)	03	02	01	00	06
03	मेकैनिक (डीजल)	17	08	05	02	32
04	रेफ्रीजीरेषनएवंएसी मेकैनिक	35	18	10	05	68
05	फोर्जर एवं हीट ट्रीटर	10	05	03	02	20
06	कारपेन्टर	05	03	01	01	10
07	इलेक्ट्रोनिक मेकैनिक	65	35	20	10	130
08	पेन्टर (सामान्य)	08	03	02	01	14
09	इलेक्ट्रीषियन	68	36	20	10	134
10	वायरमैन	11	06	03	02	22
कुल		**319**	**167**	**93**	**47**	**626**

;खद्ध धनबाद मंडल

क्र.सं.	ट्रेड/विषय	सामुदायिक ब्योरा				कुल
		अना.	अपिव	अजा	अजजा	
01	फीटर	19	10	06	03	38
02	टर्नर	11	05	03	02	21
03	मशीनिस्ट	03	02	01	00	06
04	कारपेन्टर	03	02	01	00	06
05	वेल्डर (गैस एवं विद्युत)	21	11	06	03	41
06	मेकैनिक डीजल	06	03	02	01	12
07	वायरमैन	09	05	03	01	18
कुल		**72**	**38**	**22**	**10**	**142**

(ग)मुगलसराय मंडल

क्र.सं.	ट्रेड/विषय	सामुदायिक ब्योरा				कुल
		अना.	अपिव	अजा	अजजा	
01	फीटर	242	130	72	36	480
02	मशीनिस्ट	02	01	01	00	04
03	वेल्डर (गैस एवं विद्युत)	12	06	04	02	24
04	इलेक्ट्रीषियन	18	10	05	03	36
05	एम.एम.टी.एम	01	01	00	00	02
06	टर्नर	03	02	01	00	06
07	वायरमैन	29	16	09	04	58
08	रेफ्रिजरेषन एवं एसी मेकैनिक	09	04	02	01	16
09	इलेक्ट्रॉनिक्स मेकैनिक	70	38	21	11	140
10	मेकैनिक(डीजल)	39	21	12	06	78
कुल		**425**	**229**	**127**	**63**	**844**

;घद्ध समस्तीपुर मंडल

क्र.सं.	ट्रेड/विषय	सामुदायिक ब्योरा				कुल
		अना.	अपिव	अजा	अजजा	
01	फीटर	08	03	02	01	14
02	टर्नर	02	01	01	00	04
03	वेल्डर (गैस एवं विद्युत)	02	01	01	00	04
04	इलेक्ट्रीषियन	05	03	01	01	10
05	इलेक्ट्रनोनिक मेकैनिक	05	03	01	01	10
06	पेन्टर (सामान्य)	01	01	00	00	02
07	कारपेन्टर	01	01	00	00	02
08	मेकैनिक (डीजल)	10	05	03	02	20
09	प्रयोगषाला सहायक (सीपी)	02	01	01	00	04
कुल		**36**	**19**	**10**	**05**	**70**

;ड़द्ध प्लान्ट डिपो/मुगलसराय

क्र.सं.	ट्रेड/विषय	सामुदायिक ब्योरा				कुल
		अना.	अपिव	अजा	अजजा	
01	फिटर	27	15	08	04	54
02	मशीनिस्ट	05	03	01	01	10
03	वेल्डर (गैस एवं विद्युत)	05	03	01	01	10
04	इलेक्ट्रीषियन	02	01	01	00	04
05	मेकैनिक/ग्रिन्डर	06	03	02	01	12
06	टर्नर	05	03	01	01	10
07	मेकैनिक (मोटर वाहन)	04	02	01	01	08
08	मेकैनिक डीजल	04	02	01	01	08
कुल		**58**	**32**	**16**	**10**	**116**

;चद्ध यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर

क्र.सं.	ट्रेड/विषय	सामुदायिक ब्योरा				कुल
		अना.	अपिव	अजा	अजजा	
01	फिटर	25	13	08	04	50
02	मशीनिस्ट	05	03	01	01	10
03	वेल्डर (गैस एवं विद्युत)	16	09	05	02	32
04	इलेक्ट्रीषियन	04	02	01	01	08
कुल		**50**	**27**	**15**	**08**	**100**

संकेताक्षर

अना.– अनारक्षित, अपिव– अन्य पिछड़े वर्ग, अजा–अनुसूचित जाति, अजजा– अनुसूचित जनजाति

नोटः–(1):

i. निर्धारित ट्रेडों में दिव्यांगजनों(श्रवण विकलांग/दृष्टि विकलांग/अस्थि विकलांग) के लिए आरक्षण 3:होगा।

ii. पूर्व सैनिक/उनके बच्चों एवं सषस्त्र बल कार्मिकों के बच्चों के लिए 3: की सीमा तक आरक्षण है।

iii. दिव्यांगजनों एवं पूर्व सैनिकों हेतुस्लॉट पृथक नहीं है, बल्कि यह स्लॉटों की कुल संख्या में शामिल है।

iv. अनुसूचित जाति समुदाय के अभ्यर्थियों के आरक्षित स्लॉटों के विरूद्ध उस समुदाय के पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में इन स्लॉटों कों अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों से भरा जाएगा।इसी प्रकार, अनुसूचित जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों के आरक्षित स्लॉटों के विरूद्ध उस समुदाय के पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में इन स्लॉटों कों अनुसूचित जाति समुदाय के व्यक्तियों से भरा जाएगा।यदि अजा/अजजा अभ्यर्थियों के निर्धारित प्रषिक्षण स्लॉटों को उपर दिए गए तरीकों से भी भरा नहीं जा सकता, तो इस प्रकार खाली पड़ेप्रषिक्षण स्लॉटों को वैसे व्यक्तियों द्वारा भरा जाएगा जो अजा अथवा अजजा से संबंधित नहीं है, अर्थात् अनारक्षित अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। इसी प्रकार, अन्य पिछड़े वर्ग समुदाय हेतु आरक्षित स्लॉटों केरिक्त सीटों को अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों द्वार भरा जाएगा।

नोटः–(2):

अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अपने आईटीआई ट्रेडों के सामने उपलब्ध प्रषिक्षण स्लॉटों के विवरण को ध्यान से देख लें तथा उसी अनुसार मंडल/यूनिट का चुनाव करें। यह नहीं होना चाहिए कि अभ्यर्थी किसी ऐसे मंडल/यूनिट का विकल्प देता हो जहाँ उसके आईटीआई ट्रेड के लिए प्रषिक्षण स्लॉट उपलबध न हो। ऐसी स्थिति में, आवेदन अन्ततोगत्वा अर्थहीन हो सकता है, साथ ही, अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के पश्चात् किसी प्रकार का फेरबदल करने की अनुमति नहीं है। बहरहाल, ऐसी किसी संभाविता की स्थिति में भी अभ्यर्थियों को बाद में अथवा एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है, ऐसे सभी आवेदन सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जाएगें।

6. पात्रता की शर्तें:

6.1अभ्यर्थियों की उम्र 15 वर्ष पूरी होनी चाहिए और दिनांक 30.01.2018 को अभ्यर्थियों की उम्र 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6.2 निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कोटियों के लिए उपरी उम्र सीमा में निम्नवत छूट अनुमेय हैः–

i. अजा/अजजा समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्षों तक।
ii. अपिव समुदाय से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए 3 वर्षों तक।
iii. दिव्यांगजनों(पीडब्ल्यूडी) के लिए–अनारक्षित समुदायके लिए 10 वर्ष, अन्य पिछड़े वर्गसमुदाय के लिए 13 वर्ष एवं अजा/अजजा समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्षों तक।
iv. पूर्व सैनिकों के लिए आयु में छूटकुल सैन्य सेवा अवधि के साथ 3 वर्षों तकहोगी बषर्ते कि कम से कम छः माह की नियमित सेवा पूरी कर ली हो।

6.3 अजा/अजजा के आरक्षण का लाभ उठाने वाले अभ्यर्थियों को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किये गए केन्द्र सरकार के फार्मेट पर (अनुलग्नक–1 के अनुसार)अपने प्रमाण–पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार, अपिव के आरक्षण का लाभ उठाने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा केन्द्र सरकार के फार्मेट(अनुलग्नक– 2 के अनुसार)पर दिनांक 01.04.2017 को या उसके पश्चात् जारी किए गए जाति प्रमाण–पत्र एवं गैर क्रीमीलेयर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6.4 पूर्व सैनिकोंअथवा सषस्त्र बल कार्मिकों के आरक्षण का लाभ पाने वाले अभ्यर्थियों को "कार्यमुक्त प्रमाण–पत्र"प्रस्तुत करना होगा।पूर्व सैनिकों अथवा सषस्त्र बल कार्मिकों के बच्चोंके मामले में उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय अपने माता–पिता (यथास्थिति) का "कार्यमुक्त प्रमाण–पत्र" अथवा "सषस्त्र बल सेवा प्रमाण–पत्र"(जो भी लागू हो) प्रस्तुत करना होगा।

7. पूर्व सैनिक :

7.1 पूर्व सैनिक कोटे हेतु लागू आरक्षण के अंतर्गत चयनित किसी पूर्व सैनिक अभ्यर्थी को संबंधित समुदाय यथा–अना/अजा/अजजा/अपिव (जिससे वह संबंधित है) में रखा जाएगा। पूर्व सैनिकों, उनके बच्चों एवं सषस्त्र बल कार्मिक के बच्चों को नीचे वर्णित प्राथमिकता विवरण के अनुसार षिक्षुता प्रषिक्षण के लिए चयन किया जाएगा :

(अ.) मृत/निःषक्त पूर्व सैनिकों, के बच्चे (इसमें वे पूर्व सैनिक भी शामिल है जो शांतिकाल के दौरान मारे गए/निःषक्त हुए हो।)
(आ.) पूर्व सैनिकों के बच्चे।
(इ.) सेवारत जवानों के बच्चे।
(ई.) सेवारत अधिकारियों के बच्चे।
(उ.) पूर्व सैनिक

8. शैक्षणिक अर्हता :

अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50ः अंकों के साथ मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक/10वीं श्रेणी अथवा इसके समतुल्य परीक्षा {10+2 परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत} उत्तीर्ण होना चाहिए एवं संगत ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए (अर्थात "व्यावसायिक प्रषिक्षण पर राष्ट्रीय परिषद" द्वारा जारी अधिसूचित ट्रेड में "राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण–पत्र" अथवा "व्यावसायिक प्रषिक्षण पर राष्ट्रीय परिषद"/"व्यावसायिक प्रषिक्षण पर राज्य परिषद" द्वारा जारी अनंतिम प्रमाण–पत्र)

9. शुल्क का भुगतान :

9.1 आवेदन शुल्क (अप्रतिदेय)–ृ100 / –

9.2 शुल्क का ऑनलाइन भुगतान निम्नानुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के भाग के रूप में पेमेंट गेटवे के माध्यम से करना होगाः–

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ / पूमरे के वेबसाईटूण्ततबमबतण्हवअण्पद पर हर प्रकार से एक बार ऑनलाइन आवेदन पूर्ण होने पर, अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान के लिए पेमेंट गेटवे पर जाने के लिए निर्देषित किया जाएगा।

एक बार भुगतान सफलतापूर्वक कर दिया गया हो, तो अभ्यर्थियों को आवेदन प्रक्रिया पूरा करने के लिए रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ / पूमरे के वेबसाईट पर पुनः वापस जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने एवंभरे हुए आवेदन को डाउनलोड करने के लिए पोर्टल पर पुनः निर्देषित किया जाएगा।

यदि अभ्यर्थी ने भुगतान करने का प्रयास किया हो और उसे इन्टरनेट कनेक्षन की विफलता जैसी समस्या आती हो,जिसके कारण उनके खाते / डेबिट / क्रेडिट कार्ड से आवेदन शुल्क की रकम की कटौती कर ली गई हो, किन्तु फिर भी आवेदन डाउनलोड करने में असमर्थ हो तो, कृपया पेमेंट गेटवे से उसे फिर से पुष्टि करने के लिए "वेरीफाई पेमेंट" बटन पर क्लिक करें।

9.3 अभ्यर्थियों द्वारा यह सुनिष्चित करने कि आवेदन में सभी विवरण सही–सही दर्ज हो चुके हैं, के पश्चात् ही अभ्यर्थियों को पेमेंट गेटवे (ऑनलाइन आवेदन के साथ एकीकृत) के माध्यम से शुल्क का भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति है। उसके पश्चात् आवेदन के विवरणों में कोई फेरबदल / सम्पादन की अनुमति नहीं होगी।

9.4 डेबिट / क्रेडिट कार्ड अथवा इन्टरनेट बैंकिंग इत्यादि द्वारा स्क्रीन पर माँगी गई सूचनाएं दर्ज कर भुगतान की प्रक्रिया की जा सकती है। ऑनलाईन भुगतान के लिए यदि कोई लेनदेन प्रभार हो तो उसका भुगतान अभ्यर्थियों को ही करना होगा।

9.5 भुगतान हेतुलेन–देन के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने के पष्चात् ई–रसीद (अभ्यर्थी द्वारा दर्ज कराये गये तिथि सहित) जनित होगा जिसे प्रिंट कर अभ्यर्थी द्वारा रख लिया जाएगा।

9.6 यदि ऑनलाइन भुगतान लेन–देन सफलतापूर्वक नहीं हो सका हो, तो पुनः लॉग–इनकर ऑनलाइन भुगतान करें।

9.7अजा / अजजा / दिव्यांगजनों / महिला अभ्यर्थियों द्वारा किसी शुल्क के भुगतान किए जाने की आवष्यकता नहीं है।

10. दिव्यांगजनों का स्वस्थता मानक :

<u>निःषक्त व्यक्तियों की परिभाषाएं :–</u>

(क) दृष्टिहीनताः दृष्टिहीनता / अंधता का अभिप्राय उस स्थिति से है, जिसमें कोई व्यक्ति निम्नलिखित से पीड़ित हो जैसे : **(प)** पूर्ण दृष्टि का न होना अथवा **(पप)**करेंक्टिंग लेंसों सहित नेत्र में 6 / 60 या 20 / 200 (स्नेलेन) से दृष्टि न्यूनता से अधिक न हो अथवा **(पपप)**20 डिग्री अथवा उससे कम कोण से दृष्टि सीमाका अंतरण ।

(ख) कम दृष्टि : कम दृष्टि वाले व्यक्ति से अभिप्राय है – उपचार अथवा मानक रिफ्रेक्टिव सुधार के पष्चात भी दृष्टि में क्षीणता का होना किन्तु जो उपयुक्त सहायक यंत्र के साथ किसी कार्य की योजना बनाने अथवा उसका निष्पादन करने के लिए दृष्टि का प्रयोग करता हो अथवा उस दृष्टि का प्रयोग करने के लिए सक्षम हो।

(ग) श्रवण क्षीणता : श्रवण क्षीणता से अभिप्राय है, संवाद रेंज में 60 डेसिबल या अधिक नुकसान होना।

(घ)(।)लोकोमोटर निःषक्तता : लोकोमोटर निःषक्तता से अभिप्राय है – हड्डियों, जोड़ों अथवा मांसपेषियों की निःषक्तता जिससे अंगों के संचालन में काफी अवरोध होता है अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का कोई रूप ।

(।।) **प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात** : प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से अभिप्राय ब्रेनइनसल्ट होने से, अवनॉर्मल मोटर कंट्रोल पोस्चर अथवा प्रसव–पूर्व या षिषु–विकास की अवधि में होने वाली चोटों से किसी व्यक्ति के विकास न होने की स्थितियों का एक समूह का बनना।

(।।।) अस्थि विकलांगताके सभी मामले लोकोमोटर निःषक्तता / अपंगता अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के अंतर्गत आएंगें।

(ड.) **आरक्षण के लिए निःषक्तता/अपंगता की सीमा–** आरक्षण के लिए केवल ऐसे व्यक्ति ही पात्र होंगे जो संगत निःषक्तता/अपंगता के 40ः अथवा उससे कमतर पीड़ित न हों। आरक्षण का लाभ पाने के लिए इच्छुक व्यक्ति को अनुलग्नक–3 में दिए गए फार्मेट में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःषक्तता/अपंगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(च) **सक्षम पदाधिकारी द्वारा निःषक्तता प्रमाण पत्र जारी किया जाना :** निःषक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम पदाधिकारी केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित एक चिकित्सा बोर्ड होगा जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे जिसमें से कम से कम एक (यथास्थिति)लोकोमोटर/प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात/दृष्टि/श्रवणनिःषक्तता का निर्धारण करने के लिए उस विषेष क्षेत्र का एक विषेषज्ञ होगा।

11. आवेदन कैसे करें :

11.1 अभ्यर्थियों को बेवसाईटूण्ततबमबतण्हवअण्पद पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत दिषा–निर्देष वेबसाईट पर उपलब्ध है।

11.2 अभ्यर्थीवेबसाईट ूण्ततबमबतण्हवअण्पदपर लॉग–ऑन करऑनलाइन आवेदन और अपने वैयक्तिक विवरण/बायोडाटासावधानीपूर्वक भरें।

नोट–1 : अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड होना चाहिए। पंजीकरण के समय अभ्यर्थियों को 12 अंको वाला आधार कार्ड संख्या भरना होगा। आधार नम्बर नहीं रखने वाले अभ्यर्थी, जिन्होंने आधार कार्ड के लिए रजिस्ट्रेषन करा लिया हो किंतु आधार कार्ड प्राप्त नहीं कियाहो, तो वह आधार नामांकन पर्ची पर मुद्रित 28 अंकों का आधार रजिस्ट्रेषन आईडी दर्ज कर सकता है।

यह प्रावधान जम्मू एवं कष्मीर, मेघालय और असम राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेषों के अभ्यर्थियों के लिए लागू है। इन राज्यों के आवेदक ऑनलाइन आवेदन के समय ऑनलाइन आवेदन फार्म में अपने वोटर आईडी नम्बर, वैध पासपोर्ट नम्बर, चालक लाइसेंस नम्बर या किसी अन्य वैध सरकारी पहचान–पत्र दर्ज कर सकते हैं।

दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थी को आधार कार्ड अथवा उपर्युक्त दस्तावेज मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।

नोट–2 : अभ्यर्थी यह सुनिष्चित कर लें कि आवेदन में उनका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक (दसवीं) एवं आईटीआई इत्यादि में अंकों की प्रतिषतता आदि उनके मैट्रिक/आईटीआई प्रमाण पत्र में दर्ज विवरणों के अनुसार सही–सहीमेल खाती है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान पाए गए किसी भी अंतर/परिवर्तन की स्थिति में उनकी पात्रता निरस्त कर दी जाएगीं।

नोट–3 : अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपना सक्रिय मोबाईल नम्बर तथा वैध ई–मेल आईडी दर्ज करें और पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान उन्हें सक्रिय रखें क्योंकि सभी महत्वपूर्ण सूचनाएॅं/संदेष ई–मेल/एसएमएस के द्वारा भेजे जाएंगे, जिसे अभ्यर्थियों द्वारा पढ़ा गया है, माना जाएगा।

11.3 विभिन्न विवरणों जैसे नाम/पिता का नाम/समुदाय/फोटो/षैक्षणिक और/अथवा तकनीकी अर्हता, ई–मेल आईडी/मोबाईल नं. आदि में बदलाव करएक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों के ऐसे सभी आवेदन सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

11.4 अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट रखना है।योग्य पाए जाने पर उन्हें दस्तावेज–सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और दस्तावेज सत्यापन के समय ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट प्रस्तुत करने की आवष्यकता होगी।

12. स्कैन किया हुआ फोटोग्राफ/फोटोग्राफ की सॉफ्ट कॉपीः

अभ्यर्थियों कोबिना टोपी और बिना धूप के चष्मे के, अपना रंगीन फोटोग्राफ (साईज 3.5 सेमी ग 3.5 सेमी, आवेदन की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना न हो, जेपीजी/जेपीइजी फॉरमेट में, 100 डीपीआई क्वालिटी, फाइल साईज 20 किलोबाईट से 50 किलोबाईट के बीच)अपलोड करना है। फोटो में अभ्यर्थी का चित्र सामने से स्पष्ट दृष्टिगत होने चाहिए।

अभ्यर्थी कृपया नोट करें कि अस्पष्ट/पुराने फोटो अपलोड करने अथवा अपलोड किए गए फोटो और अभ्यर्थी की वास्तविक **रूप-रंग(आकृति)** में अंतर होने पर, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, किसी भी स्तर पर उनके आवेदन/अभ्यर्थिता रद्द कर सकती है। अभ्यर्थियों को उसी फोटोग्राफ की दो अतिरिक्त प्रतियां सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है, जिसकी दस्तावेज सत्यापन के समय अपने साथ लाने की आवष्यकता होगी।

13. स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर / हस्ताक्षर की सॉफ्ट कॉपीः

अभ्यर्थियों को अपना स्कैन्ड हस्ताक्षर (साईज 3.5 सेमी ग 1.5 सेमी, जेपीजी/जेपीइजी फॉरमेट में, 100 डीपीआई क्वालिटी, फाइल साईज 10 किलोबाईट से 20 किलोबाईट के बीच)अपलोड करना है।

14. अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजः

अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई ,पठनीय प्रति अपलोड करना हैः–

14.1 माध्यमिक स्कूल (10वीं स्तर) अथवा इसके समतुल्य अंक पत्र।

14.2 जन्म तिथि प्रमाण–पत्र (10वी स्तर अथवा इसके समतुल्य अंक पत्रक अथवा विद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो)।

14.3 आवेदित ट्रेड के सभी सेमेस्टर (सत्रक) का समेकित अंक पत्रक/ राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण–पत्र(अनंतिम/च्तवअपेपवदंस भी स्वीकार्य हैं)जिसमें अंक निर्दिष्ट हो।

14.4 "व्यावसायिक प्रषिक्षण पर राष्ट्रीय परिषद" (छब्टज) द्वारा जारी किया गया राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण–पत्र (छंजपवदंस ज्तंकम ब्मतजपपिबंजम) अथवा "व्यावसायिक प्रषिक्षण पर राष्ट्रीय परिषद"(छब्टज)/"व्यावसायिक प्रषिक्षण पर राज्य परिषद"(ैब्टज) द्वारा जारी अनंतिम राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण–पत्र।

14.5 अजा/अजजा/अपिव अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण–पत्र, जहाँ लागू हो।

14.6 दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए निःषक्तता/अपंगता प्रमाण–पत्र।

14.7 पूर्व सैनिक कोटा के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए "कार्यमुक्त प्रमाण–पत्र"/ "सेवा प्रमाण–पत्र"।

दस्तावेज सत्यापन के दिन उपर्युक्त के अनुसार मूल दस्तावेजों व आधार कार्ड/पहचान प्रमाण को प्रस्तुत करना अनिर्वाय है। इसके बिना उन्हें दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। अंग्रेजी अथवा हिन्दी से इतर भाषाओं में जारी प्रमाण पत्र होने की स्थिति में उन प्रमाण पत्रों के साथ–साथ उनका अंग्रेजी/हिन्दी में अभिप्रमाणित अनुवाद लगा होना चाहिए।

15. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथिः

सभी प्रकार से पूर्ण ऑनलाईन आवेदन रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ को ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से दि. 28/02/2018 तक 17.00 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी/प्रिंटेड कॉपी रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ को भेजने की आवष्यकता नहीं है। उनके प्राप्त हो जाने के बाद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा।

16. प्रषिक्षण अवधि एवं वृत्तिका :

16.1 केन्द्रीय षिक्षुता परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों एवं पाठ्य क्र म के अनुसार प्रषिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को वर्तमान अनुदेषों के अनुसार लागू दर से षिक्षुता के दौरान वृत्तिका दी जाएगी। दरों में परिवर्तन, समय–समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए गए नियमों तथा निदेषों के अनुसार किया जा सकता है।

16.2 कोई छात्रावास उपलब्ध नहीं कराई जाएगी एवं चयनित अभ्यर्थियों को प्रषिक्षण के दौरान अपने ठहरने की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी (अप्रेटिंस एक्ट 1961 के प्रावधानों के अनुसार)। प्रषिक्षण पूरा करने पर उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा।

17. प्रषिक्षण के लिए करार :

17.1 नामित ट्रेड में षिक्षुता प्रषिक्षण के आरंभ होने से पूर्व चयनित अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रावधानों के साथ षिक्षुता प्रषिक्षण करार करना होगा।

17.2 षिक्षुता नियमावली,1992 के प्रावधानों के अनुसार, यदि षिक्षुता करार में अधिसूचित नियमों एवं शर्तों के निष्पादन में नियोक्ता की ओर से विफलता होने पर करार समाप्त कर दिया जाता है तो अभ्यर्थी को यथा निर्धारित षिक्षु प्रतिकर (।चचतमदजपबम ब्वउचमदेंजपवद) का भुगतान किया जाएगा।

17.3 षिक्षुता प्रषिक्षण समाप्ति के बाद उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अपने प्रतिष्ठान में नियोजन प्रदान करना नियोक्ता के लिए बाध्यकर नहीं होगा और साथ ही प्रषिक्षु भी नियोक्ता के अधीन नियोजन स्वीकार करने के लिए बाध्यकर नहीं होगें।

17.4 यदि चयनित अभ्यर्थी अवयस्क हैं, तो उसके अभिभावक को नियोक्ता के साथ षिक्षुता करार करना होगा।

18. चिकित्सीय स्वस्थताः

18.1 अप्रेंटिंस एक्ट 1961 एवं अप्रेंटिस नियमावली 1992 (समय–समय पर यथा संषोधित) के अंतर्गत प्रषिक्षुता प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति तभी पात्र होगा जबवह उपर्युक्त एक्ट के अनुसार एवं संगत ट्रेडों में प्रषिक्षण देने के लिए निर्धारित रेलवे चिकित्सा मानकों में न्यूनतम शारीरिक उपयुक्तता मानकों को पूरा करता है जिसे रेलवे चिकित्सक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

18.2 चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित चिकित्सा परीक्षा और शारीरिक स्वस्थ्ता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जिसके लिए अभ्यर्थियों को चिकित्सा जाँच शुल्क के लिए ₹24/– की धनराषि का भुगतान करना होगा।

19. हेल्प डेस्कः

ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने अथवा/तथा आवेदन का प्रिंट आउट लेने में किसी भी समस्या के लिए पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 17.00 बजे तक फोन सं. 0612– 2560029 अथवा 2560035 पर कॉल किया जा सकता है। (षनिवार,रविवार और अवकाष के दिनों को छोड़कर)

20. महत्वपूर्ण दिषा–निर्देषः

20.1 पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति एवं चयन विधि से संबंधित सभी मामलों में रेलवे प्रषासन का निर्णय अंतिम होगा।

20.2 रेलवे में प्रषिक्षण देने मात्र से, प्रषिक्षण में सफल अभ्यर्थियों का रेलवे में उनके आमेलन किए जाने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। श्रम मंत्रालय/भारत सरकार द्वारादि. 15.07.1992 को अधिसूचित अप्रेंटिस नियमावली 1992 के अनुसूची–ट के पैरा 10 के अनुसार,षिक्षुता प्रषिक्षण समाप्ति के बाद उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अपने प्रतिष्ठान में नियोजन प्रदान करना नियोक्ता के लिए बाध्यकर नहीं होगा और साथ ही प्रषिक्षु भी नियोक्ता के अधीन नियोजन स्वीकार करने के लिए बाध्यकर नहीं होगें।

20.3 षिक्षुओं के चयन संबंधी किसी भी पत्र व्यवहार पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

20.4 किसी भी रूप में पक्ष–प्रचार की स्थिति में अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त कर दी जाएगी और इन मामलों में किसी भी पत्र व्यवहार पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

20.5 आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को यह सुनिष्चित कर लेना चाहिए कि वह पात्रता एवं अन्य मानदंडों को पूरा करता है। यदि भूलवष चयन हो भी जाती है, तो किसी भी चरण में, बिना सूचना दिए ऐसे अभ्यर्थियों को सरसरी तौर पर बर्खास्त कर दिया जाएगा।

20.6 यदिअभ्यर्थी सत्यापन हेतु अपेक्षित मूल प्रमाण/अंक पत्रों को प्रस्तुत करने में विफल होता है अथवा उनमें कोई विसंगति पाई जाती है, तो अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त कर दी जाएगी

20.7 यदि रेलवे प्रषासन द्वारा यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने गलत/जाली/मिथ्या सूचना/ प्रमाण–पत्र दिया है तो प्रषिक्षण के लिए चयन के पश्चात् भी, बिना सूचना के, किसी भी चरण में अभ्यर्थी अथवा चयनित अभ्यर्थी को बर्खास्त करने का अधिकार रेलवे प्रषासन के पास सुरक्षित है।

20.8 चयनित न होने अथवा चयन हेतु नहीं बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों को जवाब भेजने की रेलवे प्रषासन की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। प्रस्तुत किए गए आवेदनों के संबंध न तो कोई पत्र–व्यवहार स्वीकार किया जाएगा और न ही इस कार्यालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा संगठन को इस संबंध में जवाब दिया जाएगा।

20.9 मुद्रण संबंधी किसी त्रुटि के लिए रेल प्रषासन जिम्मेवार नहीं होगा।

20.10 दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार के कोई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।

20.11 अभ्यर्थियों को डाक द्वारा रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ को आवेदन के प्रिंट आउट, प्रमाण–पत्रों अथवा उनकी प्रतियों को भेजने की आवष्यकता नहीं है। अभ्यर्थियों की पात्रता पर विचार केवल ऑनलाईन आवेदन में दी गई सूचनाओं के आधार पर किया जाएगा।

20.12 चयन के पश्चात् मंडल/यूनिट में परिवर्तन करने के संबंध में अभ्यर्थी के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

20.13 किसी भी विवाद की स्थिति में रोजगार सूचना के अंग्रेजी रुपान्तर को वैध माना जाएगा ।

20.14 किसी भी कानूनी विवाद के लिए अधिकार क्षेत्र केवल माननीय केन्द्रीय प्रषासनिक अधिकरण, पटना होगा ।

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ
पूर्व मध्य रेल